रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276413
SG-DL-E-23092026-276413

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 212
No. 273]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 212

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

"संशोधित आकलन पदोन्नति योजना"
(मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के संकाय सदस्यों हेतु)

फ़ा. सं. फ. 2/2904(पार्ट फा0)/2015/स्था0/आईएचबीएएस/सीडी#112557305/सोसायटी स्वा0परि0कल्0 /153-159.— मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस), दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली-110095, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन एक प्रमुख तृतीयक देखभाल न्यूरो-मनोरोग संस्थान है तथा न्यूरोलॉजी, मनोचिकित्सा एवं न्यूरोसर्जरी में विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करता है, के संकाय सदस्यों के लिए निम्नलिखित संशोधित आकलन पदोन्नति योजना को दिनांक 25 अगस्त, 2025 को उपराज्यपाल, दिल्ली की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा इसे सामान्य जानकारी हेतु एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस) के संकाय सदस्यों के लिए "संशोधित आकलन पदोन्नति योजना" आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी, जो निम्न प्रकार है:

क. संकाय आकलन पदोन्नति योजना:

परिचयात्मक: मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस) की स्थापना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, 1993 में एक जनहित याचिका के प्रतिक्रिया में की गई थी। यह संस्थान सोसायटी अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। एक स्वायत्त निकाय के रूप में, संस्थान के पास सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत अनुमोदित अपने संघ के ज्ञापन और नियम एवं विनियम हैं। स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सामान्य निकाय के अध्यक्ष हैं और मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संस्थान की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं। वार्षिक पदोन्नति योजना केंद्र सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों के शिक्षण संकाय की कैरियर प्रगति से संबंधित है। इसके दो घटक हैं; एक पदोन्नति की समय सीमा से संबंधित है और दूसरा पदोन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य मानकों या प्रदर्शन मानदंडों को निर्धारित करने से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, एपीएस में भी संशोधन किए गए और इसे चिकित्सा विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थानों में लागू करने के लिए 2013 में अधिसूचित किया गया।

2. **दिशा-निर्देश:** यह निर्णय लिया गया है कि एनआईएमएचएएनएस द्वारा जारी संशोधित आकलन पदोन्नति योजना के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस) में संशोधित आकलन पदोन्नति योजना ("एपीएस") लागू की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत पदोन्नति के लिए दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं, जो संस्थान में 1 जुलाई, 2010 से लागू होंगे। योजना के अंतर्गत पदोन्नति हेतु मानदंड निम्न प्रकार हैं:

(i) तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले सहायक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।

(ii) तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले एसोसिएट प्रोफेसर अपर प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।

(iii) चार वर्ष का अनुभव रखने वाले अतिरिक्त प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।

3. संकाय के कार्य और समय का आवंटन

(1) संदर्भित चिकित्सा संस्थानों के संकाय से सामान्य तौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि वे समय निम्न के लिए समर्पित करें

। शिक्षण एवं प्रशिक्षण:

ii. अनुसंधान;

iii. सेवा प्रदान करना और रोगी की देखभाल,

iv. निगमित गतिविधियाँ

(2) इन कार्यों के लिए संकाय सदस्यों के समय का आवंटन विभागवार भिन्न-भिन्न होगा। अतः विभागों को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् बुनियादी विज्ञान विभाग, परानैदानिक सेवा विभाग और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या नैदानिक विभाग। संकाय सदस्यों की गतिविधियों के लिए समय का आवंटन निम्नानुसार अपेक्षित है:

बुनियादी विज्ञान विभाग	शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और औषध विज्ञान, जैव भौतिकी, जैव रसायन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और एनएमआर
शिक्षण एवं प्रशिक्षण	45 प्रतिशत समय
अनुसंधान	45 प्रतिशत समय
निगमित गतिविधियाँ*	10 प्रतिशत समय
शिक्षण और अनुसंधान साथ-साथ चलते हैं, इसलिए समय में 10-20% का अंतर स्वीकार्य मानक होगा।	

परानैदानिक सेवा विभाग	रोगविज्ञान, सूक्ष्मजीवविज्ञान, प्रयोगशाला चिकित्सा**
शिक्षण एवं प्रशिक्षण	30 प्रतिशत समय
सेवा देना	30 प्रतिशत समय
अनुसंधान	30 प्रतिशत समय
निगमित गतिविधियाँ*	10 प्रतिशत समय

स्वास्थ्य सेवा प्रदाता/नैदानिक विभाग	चिकित्सा एवं उप-विशेषज्ञताएं, शल्य चिकित्सा एवं उप-विशेषज्ञताएं, स्त्रीरोग एवं प्रसूति विज्ञान, रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग तथा न्यूक्लियर चिकित्सा**
शिक्षण एवं प्रशिक्षण	30 प्रतिशत समय
सेवा देना	30 प्रतिशत समय
अनुसंधान	30 प्रतिशत समय
निगमित गतिविधियाँ*	10 प्रतिशत समय
चूंकि शिक्षण प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए निर्धारित समय 10-20 प्रतिशत तक विनिमय योग्य होगा।	

निगमित गतिविधियों में विभिन्न विभागीय/संस्थागत/राष्ट्रीय/शैक्षणिक समितियों में सेवा प्रदान करना शामिल है।

**प्रत्येक संस्थान अपने विभिन्न विभागों को सौंपे गए कार्य के अनुसार इन्हें तीन समूहों में वर्गीकृत कर सकता है।

(3) संस्थानों को विभिन्न घटकों के बीच प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए समय आवंटन मानदंड में 15-25 प्रतिशत तक परिवर्तन करने की छूट होगी। यह संस्थान(ओं) द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित की जाएगी। प्रत्येक घटक को औपचारिक रूप से निर्दिष्ट भार आयु के अनुसार इन घटकों के-निमित्त संकाय के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।

4. <u>प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु मानदंड:</u>

(1) संशोधित आकलन पदोन्नति योजना (आरएपीएस) के अन्तर्गत संकाय सदस्यों की पदोन्नति का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित होगा, अर्थात्:

(ए) <u>शिक्षण एवं प्रशिक्षण:</u>

मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा:

i. उपदेशात्मक व्याख्यान दिए गए

ii. विभागीय, संस्थागत, राष्ट्रीय संघों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों, शैक्षिक अभ्यासों अर्थात् सतत चिकित्सा शिक्षा, ग्रैंड राउंड, सेमिनार और कार्यशालाओं में भागीदारी।

iii. नैदानिक शिक्षण अभ्यास

iv. अंतर'-विभागीय शिक्षण

वी शोध कार्य के लिए छात्रों को मार्गदर्शन और दिशा-निर्देशा दिए

vi. अतिथि प्रोफेसरशिप

vii. प्रश्न बैंक का प्रारूप तैयार करना

viii. छात्रों की प्रतिक्रिया

ix. शिक्षण सामग्री/पुस्तकें/मोनोग्राफ/तकनीकी मैनुअल का उत्पादन

x. शिक्षण विधियों में नवाचार प्रस्तुत किया

टिप्पणी: **उपर्युक्त गतिविधियों का विवरण स्व-रिपोर्टिंग लॉग या प्रारूप में अनुरक्षित किया जाएगा और आंतरिक स्क्रीनिंग समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।**

(बी) अनुसंधान

(i) अनुमत लचीलेपन के अधीन रहते हुए, कार्य समय का 25-30 प्रतिशत अनुसंधान के लिए समर्पित समय होना चाहिए। इसका आकलन निम्नलिखित मापदंडों पर किया जाएगा और संकाय सदस्यों की पदोन्नति पर विचार करते समय यह अनिवार्य है।

प्राप्त अनुदान

सहायक प्रोफेसर	संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने के समय, संस्थान द्वारा अनुमोदित परियोजना के लिए प्रति वर्ष 2-5 लाख रुपये का एक आंतरिक अनुदान प्रारंभिक पूंजी के रूप में प्रदान किया जाएगा।
एसोसिएट प्रोफेसर	बाह्य अनुदान-एक
अपर प्रोफेसर	बाह्य अनुदान – दो

(ए) यह अनुदान या तो मुख्य अन्वेषक या सह-अन्वेषक के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

(बी) सहकर्मी समीक्षा वाली नैतिकता समिति द्वारा अनुमोदित गैर-वित्तपोषित अनुदानों को भी एपीएस के अन्तर्गत मूल्यांकन के लिए दिए जाने वाले समान महत्व दिया जाएगा।

(सी) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, और एनआईएमएचएएनएस, बैंगलोर के अलावा अन्य संस्थान भी अपनी वैज्ञानिक परामर्शी समितियां स्थापित करेंगे।

(डी) संस्थानों को सभी संकाय सदस्यों के लिए अनिवार्य आधार पर अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने होंगे।

(ग) प्रकाशन

(i) एपीएस के अंतर्गत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु, संकाय सदस्यों को अपने शोध कार्यों के भाग के रूप में निम्नानुसार शोध पत्र प्रकाशित करने होंगे:

	पबमेड इंडेक्स्ड जर्नल में प्रकाशन (अनिवार्य)
सहायक प्रोफेसर	कम से कम 3 प्रकाशन जिनमें से कम से कम 1 में आप प्रथम लेखक होने चाहिए।

एसोसिएट प्रोफेसर	आकलन अवधि के दौरान 3-5 शोध पत्र, जिनमें से कम से कम 1 शोध पत्र प्रथम या संबंधित लेखक का मूल लेख होना चाहिए।
अपर प्रोफेसर	आकलन अवधि के दौरान 5-7 शोध पत्र, जिनमें से कम से कम 2 शोध पत्र प्रथम या संबंधित लेखक के मूल लेख होने चाहिए।
प्रोफेसर	आकलन अवधि के दौरान 5-10 शोध पत्र, जिनमें से कम से कम 3 शोध पत्र प्रथम संबंधित लेखक के मूल लेख होने चाहिए। प्रकाशन किसी विशिष्ट शोध क्षेत्र पर केंद्रित होने चाहिए।

(ii) प्रकाशित शोध पत्रों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा:

(ए) निम्न में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या-

I. राष्ट्रीय पत्रिकाएँ;

II. अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएँ;

(बी) कुल उद्धरण सूचकांक;

(सी) पत्रिकाओं का औसत प्रभाव कारक;

(डी) प्रकाशन (प्रकाशनों) की गुणवत्ता;

(ई) मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे पीएचडी शोधार्थियों की संख्या को यथोचित श्रेय दिया जाएगा;

(एफ) प्राप्त पेटेंटों को यथोचित श्रेय दिया जाएगा;

(जी) चिकित्सा एवं विज्ञान अकादमियों की निर्वाचित सदस्यता या फेलोशिप एक वांछनीय उपलब्धि है और इसे यथोचित श्रेय दिया जाएगा।

(घ) रोगी देखभाल सेवाएं:

रोगी देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के निष्पादन के आकलन हेतु निम्नलिखित मानदंड होंगे:

(i) नैदानिक आधार पर,

(ए) प्रति माह ओपीडी क्लीनिकों में आने वाले लोगों की संख्या;

(बी) प्रति माह निर्दिष्ट तथा की गई आईपीडी ड्यूटी;

(सी) की गई नैदानिक प्रक्रियाएं/सर्जरी;

(डी) विकसित नई तकनीक;

(ई) देखभाल निरंतरता के लिए रोग प्रबंधन कार्यक्रमों का निर्माण शुरू करने वाली नई सेवाएं;

(एफ) गंतव्य कार्यक्रम (उच्च उत्कृष्टता);

(जी) नए देखभाल मॉडल या देखभाल प्रदाय पद्धतियों का विकास।

(ii) परा-नैदानिक आधारित,

(ए) कार्यभार;

(बी) नए नैदानिक परीक्षण या शुरू की गईं तकनीकें।

टिप्पणी: प्रत्येक संस्थान विभाग प्रमुख तथा विभाग के अगले दो सबसे वरिष्ठ संकाय सदस्यों को सम्मिलित करके विभागीय कॉलेजियम स्थापित करेगा, ताकि प्रत्येक संकाय सदस्य द्वारा रोगी देखभाल सेवाओं के लिए समय का आवंटन किया जा सके, जिसकी जानकारी प्रशासन को रिकॉर्ड और तत्पश्चात एपीएस के अंतर्गत आकलन के लिए दी जाएगी।

(ई) निगमित गतिविधियाँ:

इसमें संस्थान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संकाय सदस्यों की भागीदारी और विभाग (विभागों) के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना शामिल होगा। राष्ट्रीय संस्थानों के संकाय सदस्यों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों या संगठनों तथा उद्योग जगत की विभिन्न समितियों में सेवा देने के लिए बुलाया जाता है। इन गतिविधियों को यथोचित श्रेय दिया जाएगा।

5. एपीएस के अंतर्गत पदोन्नति की प्रक्रिया और समय सारिणी:

(1) एपीएस के अंतर्गत विचारार्थ आवेदन प्रत्येक वर्ष मई माह में आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदक संकाय सदस्यों से यह पूछा जाएगा कि क्या वे अपने कार्यों की प्रस्तुति देना चाहते हैं या नहीं। स्थायी चयन समिति द्वारा आवेदक संकाय सदस्यों के वॉकइन इंटरव्यू तदनुसार आयोजित क-िए जाएंगे।

(2) लचीली पूरक योजना के अंतर्गत, आकलन पदोन्नति के अंतर्गत भी स्क्रीनिंग के दो स्तर होंगे। इसके अलावा, निष्पादन की सहकर्मी समीक्षा भी की जाएगी।

(3) <u>आंतरिक स्क्रीनिंग तथा सहकर्मी समीक्षा</u>

(क) प्रत्येक विभाग/संस्थान के लिए एक आंतरिक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा, जो संबंधित बेंचमार्क के संदर्भ में प्रत्येक संकाय सदस्य द्वारा किए गए वार्षिक कार्य का मूल्यांकन करेगी। समिति द्वारा संकाय सदस्य द्वारा किए गए कार्य पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। संकाय सदस्य द्वारा प्रस्तुत बायोडाटा और उनके निष्पादन पर रिपोर्ट को सहकर्मी समीक्षा के लिए भेजा जाएगा, जिसका आकलन और ग्रेडिंग निम्नानुसार की जाएगी;

उत्कृष्ट = ए+

बहुत अच्छा = ए

अच्छा = बी+

औसत = बी

खराब = सी

(ख) संबंधित अवधि के एसीआर/एपीएआर का आकलन भी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा तदनुसार ग्रेडिंग की जाएगी:

उत्कृष्ट = (ए+)

बहुत अच्छा = (ए)

अच्छा = (बी+)

औसत = (बी)

खराब = सी

(सी) एसीआर/एपीएआर ग्रेडिंग, किए गए कार्य पर रिपोर्ट और सहकर्मी समीक्षा के परिणाम को स्थायी चयन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) चयन समिति द्वारा स्क्रीनिंग:

(ए) स्थायी चयन समिति के अध्यक्ष, संस्थान के निदेशक के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित विशेषज्ञों के पैनल में से साक्षात्कार से संबद्ध विशेषज्ञों का चयन करेंगे।

(बी) संकाय सदस्यों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए चयन समिति की बैठकें प्रत्येक वर्ष सितंबर में निर्धारित की जाएंगी।

(सी) साक्षात्कार के बाद सभी सदस्य और विशेषज्ञ संकाय सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से "ए+" से "सी" तक ग्रेड देंगे, जिसमें

ए+इसे 'उत्कृष्ट' माना जाएगा;

ए इसे 'बहुत अच्छा' माना जाएगा;

बी+इसे 'अच्छा' माना जाएगा;

बी इसे 'औसत' माना जाएगा; और

सी उन्हें 'खराब' माना जाएगा।

(डी) एसोसिएट प्रोफेसर और अपर प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए मानदंड 'ए' होगा।

(ई) अपर प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए मानदंड 'ए+' होगा।

6. आकलन पदोन्नति योजना हेतु पालन की जाने वाली वार्षिक अनुसूची:

एपीएस हेतु प्रत्येक वर्ष पालन की जाने वाली प्रक्रिया

↓

विशिष्ट प्रारूप में आवेदन आमंत्रित (मई)

↓

पूर्ण आवेदन प्राप्त करें (जून)

↓

आंतरिक स्क्रीनिंग समिति का संदर्भ लें।(जुलाई)

↓

सहकर्मी समीक्षा के लिए भेजें (अगस्त)

↓

स्थायी चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार (सितंबर से नवंबर)

↓

परिणाम की घोषणा (दिसंबर)

↓

पदोन्नति आदेश जारी करना (दिसंबर)

7. स्थायी चयन समिति की अनुशंसाओं के निमित्त अपील

(1) अपीलों के मामलों में, शासी निकाय यह परीक्षण करेगा कि संबंधित अपीलों को विचारार्थ स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। यदि किसी अपील अथवा अभ्यावेदन का कोई युक्तिसंगत आधार पाया जाता है, तो उसे पुनर्विचार हेतु पूर्ण चयन समिति को वापस भेजा जाना चाहिए तथा पुनर्विचार के दौरान समिति की सहायता करने वाले विशेषज्ञ वे नहीं होने चाहिए, जिन्होंने मूल चयन प्रक्रिया में भाग लिया था।

(2) अपीलकर्ता को चयन समिति द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए|

8. एपीएस के अंतर्गत पदोन्नति हेतु अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों की समीक्षा

अपनी पात्रता के पहले वर्ष के दौरान एपीएस के अंतर्गत अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों के संबंध में, आगामी वर्ष (वर्षों) में एपीएस के अंतर्गत विचार के लिए कोई रोक या प्रतिबंध नहीं होगा।

9. संस्थान से अनुपस्थिति की अवधि

(1) एपीएस के तहत, संकाय सदस्यों को अगली पदोन्नति के लिए पात्र होने से पहले प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम सेवा अवधि अपेक्षित है। इसलिए, संस्थान से बाहर कार्यभार संभालने वाले संकाय सदस्य सामान्यतः एपीएस के अंतर्गत विचार के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उन्होंने संस्थान में निर्धारित वर्षों की सेवा पूरी न कर ली हो। ऐसे कार्यभार संभालने वाले संकाय सदस्यों की नियुक्ति करते समय, कार्यभारमुक्त करने के आदेश में स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि संस्थान से अनुपस्थिति की अवधि एपीएस के अंतर्गत पात्रता में गिनी जाएगी या नहीं।

(2) स्वास्थ्य क्षेत्र (सेवाओं) से संबंधित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ प्रशिक्षण या सेवा की अवधि, जिसे कर्तव्य माना जाता है, उसे एपीएस के तहत पात्रता के लिए गिना जाएगा।

(3) व्यक्तिगत आधार पर ली गई चिकित्सा संबंधी अवकाश, असाधारण अवकाश आदि सहित अवकाश की अवधि न्यूनतम निवास अवधि में नहीं गिनी जाएगी।

(4) एपीएस के अंतर्गत आकलन उद्देश्यों के लिए अधिकतम छह महीने की अवधि के बाल देखभाल अवकाश पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी: ये दिशानिर्देश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन फा. संख्या v-16020/57/2008-एमई-1(पीटी), दिनांक 15 मई, 2013 के अनुसार निर्धारित कार्य मानकों के अनुरूप संशोधित किए गए हैं।

टिप्पणी: मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस) के संकाय सदस्यों के लिए संशोधित आकलन पदोन्नति योजना (एपीएस) को दिनांक 22.02.2019 को आयोजित आईएचबीएएस की 19वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक के कार्यवृत्त के एजेंडा मद संख्या 16 के द्वारा आईएचबीएएस के सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित अनुलग्नक 16.2 के अनुसार संशोधित आकलन मानदंडों सहित, वर्ष 2011 से 2019 की अवधि के लिए एपीएस हेतु पात्र सभी संकाय सदस्यों पर एकमुश्त उपाय के रूप में लागू किया जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चुन्नी लाल रोय, उप सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 25th August, 2026

"REVISED ASSESSMENT PROMOTION SCHEME"

(For Faculty Members of Institute of Human Behaviour and Allied Sciences)

F. No. F.2/2904(Pt.file)/2015/Estt./IHBAS/CD#112557305/SocietiesHFW/153-159.—The following Revised Assessment Promotion Scheme for Faculties of Institute of Human Behaviour & Allied Science (IHBAS), Dilshad Garden, New Delhi-110095 a premier tertiary care neuropsychiatric institute under the Government of NCT of Delhi that provides specialized services in Neurology, Psychiatry, Neurosurgery has assent of the Lieutenant Governor, Delhi on 25th August, 2025, and is hereby published for general information:

The "REVISED ASSESSMENT PROMOTION SCHEME" For Faculty Members of Institute of Human Behaviour and Allied Sciences (IHBAS) shall come into force on such date as notification in the Official Gazette. It is as below:

A. Faculty Assessment Promotion Scheme:

1. **Introductory:** Institute of Human Behaviour & Allied Sciences (IHBAS) was established in compliance with the directives of the Hon'ble Supreme Court in response to a public interest litigation in 1993. The Institute is an autonomous body registered under the Societies Act 1860, funded jointly by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and Government of NCT of Delhi. As an autonomous body, the institute has its Memorandum of Association and rules and Regulations duly approved under the Societies Act. Minister for Health, Govt. of NCT of Delhi is the President of General Body and Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi is the Chairman of the Executive Council of the institute. Annual Promotion Scheme deals with career progression of the teaching faculty of medical institutions under the Central Govt. It has two components; one is regarding time line of promotion and the other is about prescribing work standards or performance benchmarks that are to be met for getting promoted. Recommendations of seventh pay commission were implemented by the GOI, APS also underwent modifications and was notified in 2013 for implementation in national institutions of medical sciences.

2. **Guidelines:** It is decided that the revised Assessment Promotion Scheme ("APS") be implemented in the Institute of Human Behaviour and Allied Sciences (IHBAS) following the guidelines for promotion under Revised Assessment Promotion Scheme issued by NIMHANS.

The guidelines for promotion under the scheme are as indicated below which will be implemented in the Institute with effect from 1st July, 2010. The criteria for promotion under the scheme are as follows:

(i) Assistant Professors with three years of experience will be eligible for promotion as Associate Professor.

(ii) Associate Professors with three years of experience will be eligible for promotion as Additional Professors.

(iii) Additional Professors with four years of experience will be eligible for promotion as Professors.

3. Functions of faculty and allocation of time

(1) Faculty of medical institutions under reference are usually expected to devote time to

i. Teaching and Training:

ii. Research;

iii. Service delivery and patient care,

iv. Corporate activities

(2) Appointment of faculty time amongst these functions would vary from Department to Department. Therefore, Departments are to be grouped into THREE broad categories viz., the Basic Sciences Department, the Paraclinical Services Departments and the Health Care Providers or Clinical Departments. The appointment to time for faculty activities is expected to be as under:

Basic Sciences Departments	Anatomy, Physiology and Pharmacology, Blophysics, Biochemistry, Biotechnology and NMR
Teaching and Training	45 per cent of time
Research	45 per cent of time
Corporate activities*	10 per cent of time
Since teaching and research go hand in hand a 10-20% variation in time would be an acceptable norm	

Para-clinical services Departments	Pathology, Microbiology, Laboratory Medicine**
Teaching and Training	30 per cent of time
Service Delivery	30 per cent of time
Research	30 per cent of time
Corporate activities*	10 per cent of time

Healthcare providers/ Clinical Departments	Medicine and sub specialties, Surgery and sub specialties, Gynae and Obst, Radiology and Imaging and Nuclear Medicine**
Teaching and Training	30 per cent of time
Service Delivery	30 per cent of time
Research	30 per cent of time
Corporate activities*	10 per cent of time
Since teaching training and health care service delivery go-hand-in-hand the captive time would be interchangeable 10-20 per cent	

Corporate activities include serving in various Departmental/ institutional/ National/Academic Committees.

**Each Institute can categorise its various Departments into these three groups according to work assigned to these Departments.

(3) Institutes would have the flexibility of altering the time allocation criterion for evaluation of performance amongst various components by 15-25 per cent. This would be formally notified by the institute(s). The performance of faculty would be assessed against these components as per the formally assigned weight-age to each component.

4. <u>Criteria for evaluation of performance:</u>

(1) The evaluation of faculty for promotion under the Revised Assessment Promotion Scheme (RAPS) would be based on the following parameters, namely:

(a) Teaching and Training:

Evaluation shall be based on:

i. Didactic lectures delivered

ii. Participation in Departmental, Institutional, programs sponsored by National Associations and other educational Institutions, educational exercises l.e., Continuing Medical Education, Grand rounds, Seminars, Workshops.

iii. Clinical Teaching exercises

iv. Interdepartmental Teaching

v. Mentorship and Guidance provided to students for thesis work.

vi. Visiting Professorships

vii. Question Bank formation

viii. Student feed back

ix. Production of teaching Material/Books/Monographs/Technical Manuals

x. Innovation in teaching methods introduced

Note: Details of the above stated activities will be maintained in a self-reporting log or proforma and would be made available to the internal screening committee.

(b) Research

(i) Subject to the flexibility allowed, 25-30 per cent. of working time should be captive time for research. This would be assessed on the following parameters and is mandatory when considering promotions of faculty.

Grants obtained

Assistant Professor	One intramural grant for an approved project of Rs. 2-5 lakh per year to be provided by the Institution as seed money at the time of joining the Institutes.
Associate Professor	Extramural Grant-One
Additional Professor	Extramural grants –Two

(A) The grant could be held either as Principal Investigator or as Co-investigator.

(B) Peer reviewed ethics committee approved non funded grants would also be given the same weight-age considered for evaluation under APS.

(C) Institutes other than All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, NIMHANS, Bangalore would also establish their Scientific Advisory Committees.

(D) Institutes must introduce training courses in Research Methodology for the all faculty on mandatory basis.

(c) Publications

(i) To be considered for promotion under the APS, faculty are required, as a part of their research activities, to publish papers as under:

	Publication in Pub Med indexed journal (Mandatory)
Assistant Professor	At least 3 publications of which at least 1 should be first author
Associate Professor	3-5 papers during the assessment period of which at least 1 should be first or corresponding author original article
Additional Professor	5-7 papers during the assessment period of which at least 2 should be first or corresponding author original article.
Professor	5-10 papers during the assessment period of which at least 3 should be first corresponding author original article. The publications should be focused in a particular research area.

(ii) Evaluation of published papers would be done on the basis of:

(A) number of papers published in

I. national journals;

II. international journals;

(B) total citation index;

(C) average impact factor of journals;

(D) quality of publication(s);

(E) number of Ph.D scholars being guided would be given due credit;

(F) patents earned will be given due credit;

(G) elected membership or fellowship of medical and science academies is a desirable achievement and will be given due credit.

(d) Patient Care Services:

The criteria for assessment of performance in delivery of Patient Care services would be as follows:

(i) Clinical based on,

(A) OPD's clinics attended per month;

(B) IPD duties assigned and done per month;

(C) procedures/surgeries undertaken;

(D) new techniques developed;

(E) new services started creation of diseases management programmes for care-continum;

(F) destination programs (High excellence);

(G) development of new care models or care delivery methods.

(ii) Para-Clinical based on,

(A) work-load;

(B) new diagnostic tests or techniques introduced.

Note: Every Institution would establish departmental collegiums comprising of the Head of Department and the next two senior most faculty members in the Department for apportioning time for patient care services by individual faculty which would be communicated to the administration for record and subsequent assessment under the APS.

(e) Corporate Activities:

This would include participation by faculty in activities promoting the objectives of the Institute, smooth functioning of the department(s). Faculty of national Institutes are also called upon to serve on various committees of national and international scientific, educational and health care Institutions or organisations and by Industry as well. These activities would be given due credit.

5. Processes and time schedule for promotion under APS:

(1) Applications for consideration under APS shall be invited every year on the May. Applicant faculty would be asked to indicate whether he would like to make presentations of their walk Interviews of applicant faculty by the Standing Selection Committee would be organised accordingly.

(2) As under the Flexible Complementing Scheme, there would be two levels of screening under the Assessment Promotion as well. In addition, Peer Review of performance would also undertaken.

(3) Internal Screening and Peer Review

(a) An Internal Screening Committee shall be constituted for each Department/every Institution for evaluation of annual work done by individual faculty member vis-à-vis the relevant bench mark(s). A report on the work done by, the faculty would be prepared by the Committee. The resume submitted by the faculty and the report on his performance would be sent for peer review to be assessed and graded as under;

Outstanding = A+

Very Good = A

Good = B+

Average = B

Poor = C

(b)The ACR/APAR of the relevant period would also be assessed as per extant guidelines and graded accordingly as:

Outstanding = (A+)

Very Good = (A)

Good = (B+)

Average = (B)

Poor = (C)

(c) The ACR/APAR grading, the report on the work done and the outcome of the peer review would be submitted for consideration by the Standing Selection Committee.

(4) Screening by the Selection Committee:

(a) The Chairman of the Standing Selection Committee in consultation with the Director of the Institute will select the experts to be associated with the interview from amongst the panel of experts proposed by the Department concerned.

(b) Meetings of the Selection Committee will be fixed for September every year to consider the application received from faculty.

(c) All members and experts after the interview shall individually grade the faculty from "A+" to "C", wherein

A+ shall be treated as 'outstanding;

A shall be treated as 'Very Good";

B+ shall be treated as 'Good";

B shall be treated as 'Average'; and

C shall be treated as 'Poor'.

(d) For promotion to Associate Professor and Additional Professor, the benchmark would be 'A'

(e) For promotion from Additional Professor to Professor, the benchmark would be 'A+'

6. Annual schedule to be followed for assessment promotion scheme:

PROCESS TO BE FOLLOWED FOR APS EVERY YEAR

↓

Call for Applications in specific format (May)

↓

Receive completed applications (June)

↓

Refer to Internal Screening Committee (July)

↓

Refer for Peer Review (Aug)

↓

Personal Interview of candidate Standing Selection Committee (Sept. to Nov.)

↓

Declaration of result (December)

↓

Issue of promotion order (December)

7. Appeals against recommendations of Standing Selection Committee

(1) In case of appeals, the Governing Body should scrutinize the appeals as to whether the same should be entertained. If any appeal or representation has a reasonable basis, the same should be referred back to the full Selection Committee for reconsideration and the experts assisting the Committee during reconsideration, should not be the same who participated in the original selection.

(2) The appellant should invariably be given opportunity of personal hearing by the Selection Committee.

8. Review of candidates found unfit for promotion under APS

There would be no bar or ban for consideration under APS in the succeeding year(s) in respect of candidates found unfit under APS during the first year of their eligibility.

9. Period of absence from Institute

(1) The APS requires a minimum period of service at each level before a faculty can be eligible for next promotion. Therefore, faculty members taking assignments outside the Institute would normally not be eligible for consideration under the APS unless they have put in the required years of service in the Institute. While receiving faculty for taking up such assignments, the relieving order must clearly specify whether the period of absence from the Institute would count towards eligibility under the APS or not.

(2) Period of training or service with national or international or multinational agencies dealing in health sector (services), which is treated as duty would, however, be counted for eligibility under APS.

(3) The period of leave including leave on medical grounds, extra ordinary leave, etc., availed on personal grounds shall not count towards the minimum residency period.

(4) Child Care Leave of maximum six months duration would be considered for assessment purposes under APS.

Note: The guidelines are modified as per the work standards prescribed by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India as per the Office Memorandum F.No. V-16020/57/2008-ME-1(Pt) dated 15th May, 2013.

Note: The revised Assessment Promotion Scheme (APS) for faculty members of Institute of Human Behaviour and Allied Sciences (IHBAS) be implemented with modified assessment criteria as per Annexure 16.2 approved by General Body of IHBAS vide the Agenda Item No. 16 of Minutes of 19th Annual General Body Meeting of IHBAS held on 22.02.2019, for all Faculty Members eligible for APS for the period 2011 to 2019, as one time measure.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

CHUNNI LAL ROY, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.09.23 13:41:05 +05'30'